THE UTTAR PRADESH UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 1970

(U. P. ACT No. 11 OF 1970)

[Authoritative English Text of the *Uttar Pradesh Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam*, 1970.]

AN

ACT

further to amend the Lucknow University Act, 1920; *the Allahabad University Act,* 1921; *the Agra University Act,* 1926; *the Gorakhpur University Act,* 1956; *the Varanaseya Sanskrit Vishwavidyalaya Act,* 1956; *and the Kanpur and Meerut Universities Act,* 1965.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Universities (Amendment) Act, 1970. — **Short title.**

2. In section 13 of the Lucknow University Act, 1920, *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely:— — **Amendment of section 13 of U. P. Act V of 1920.**

"(1) The Registrar shall be a whole-time officer of the University and shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of a Selection Committee consisting of the following, namely:—

(i) the Vice-Chancellor, who shall be its Chairman;

(ii) a serving Vice-Chancellor of another University, nominated by the Chancellor; and

(iii) one other person nominated by the Chancellor."

3. In section 14 of the Allahabad University Act, 1921, *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely:— — **Amendment of section 14 of U. P. Act III of 1921.**

"(1) The Registrar shall be a whole-time officer of the University and shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of a Selection Committee consisting of the following, namely:—

(i) the Vice-Chancellor, who shall be its Chairman;

(ii) a serving Vice-Chancellor of another University, nominated by the Chancellor; and

(iii) one other person nominated by the Chancellor."

4. In section 11 of the Agra University Act, 1926, *for* sub-section (2), the following sub-sections shall be *substituted*, namely:— — **Amendment of section 11 of U. P. Act VIII of 1926.**

"(2) The Registrar shall be a whole-time officer of the University and shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of a Selection Committee consisting of the following, namely—

(i) the Vice-Chancellor, who shall be its Chairman;

(ii) a serving Vice-Chancellor of another University, nominated by the Chancellor; and

(iii) one other person nominated by the Chancellor.

(2-A) The emoluments of the Registrar shall be prescribed by the Ordinances."

5. In section 5 of the Gorakhpur University Act, 1956 (hereinafter referred to as the Gorakhpur Act) the proviso to sub-section (2), and sub-section (3) shall be *omitted*. — **Amendment of section 5 of U. P. Act XX of 1956.**

6. In section 8 of the Gorakhpur Act, in clause (2) *for* the words, figures and brackets "sub-sections (2) and (3)" the word, figure and brackets "sub-section (2)" shall be *substituted*. — **Amendment of section 8.**

---

*(For Statement of Objects and Reasons, please see *Uttar Pradesh Gazette (Extraordinary)*, dated July 23, 1969).

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Council on March 10, 1970 and by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on March 13, 1970.)

(Received the Assent of the Governor on March 31, 1970 under Article 200, of the Constitution of India, and was published in the *Uttar Pradesh Gazette* ((*Extraordinary*), dated April 8, 1970).

Amendment of section 16.

7. In section 16 of the Gorakhpur Act, *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(1) The Registrar shall be a whole-time officer of the University and shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of a Selection Committee consisting of the following namely :—

(i) the Vice-Chancellor, who shall be its Chairman ;

(ii) a serving Vice-Chancellor of another University, nominated by the Chancellor ; and

(iii) one other person nominated by the Chancellor."

Amendment of section 15 of U. P. Act XXVIII of 1956.

8. In section 15 of the Varanaseya Sanskrit Vishwavidyalaya Act, 1956, for sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(1) The Prastota shall be a whole-time officer of the Vishwavidyalaya and shall be appointed by the Karya Karini Parishad on the recommendation of a Nirdharana Samiti consisting of the following, namely :—

(i) the Up-Kulapati, who shall be its Chairman ;

(ii) a serving Vice-Chancellor of another University, nominated by the Kulapati ; and

(iii) one other person nominated by the Kulapati."

Amendment of sections 4 and 12 of U. P. Act XIII of 1965.

9. In the Kanpur and Meerut Universities Act, 1965, (i) in section 4, *after* sub-section (5), the following sub-sections shall be *inserted*, namely :—

"(6) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) to (5) or in any notification issued under sub-section (3), or in the Agra University Act, 1926, the Nehru Institute of Ophthalmology and Research situated at Sitapur, shall be deemed to continue and always to have continued to be affiliated to the Agra University, under the Agra University Act, 1926, and accordingly, anything done or any action taken or order made, including any examination conducted, any fee charged, any diploma conferred by the Agra University in relation to the said Institute or to persons enrolled in the said Institute before the commencement of the Kanpur and Meerut Universities (Amendment) Act, 1970, shall be deemed to be validly done, taken, made, conducted, charged or conferred, as if the provisions of this sub-section were in force at all material times.

(7) The said Institute shall, from such date as the State Government may, by notification in the *Gazette*, appoint in that behalf, cease to be affiliated to the Agra University under sub-section (6) and stand affiliated to the Kanpur University under this Act." ; and

(ii) in section 12, *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(1) The Registrar shall be a whole-time officer of the University and shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of a Selection Committee consisting of the following, namely :—

(i) the Vice-Chancellor, who shall be its Chairman ;

(ii) a serving Vice-Chancellor of another University nominated by the Chancellor ; and

(iii) one other person nominated by the Chancellor."

Repeal of President's Act No. 20 of 1968 and Act No. I of 1969.

10. The Kanpur and Meerut Universities (Amendment) Act, 1969, and the Uttar Pradesh Universities (Amendment) Act, 1969, are hereby repealed.

PSUP—A. P. 115 Genl. (Leg.)—1970. 1,848. (M.)

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1970

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1970)

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 10 मार्च, 1970 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 13 मार्च, 1970 ई० की बैठक में स्वीकृत किया]

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 31 मार्च, 1970 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 8 अप्रैल, 1970 ई० को प्रकाशित हुआ।]

लखनऊ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920, इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 1921, आगरा विश्वविद्यालय अधिनियम, 1926, गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 और कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1965 को और संशोधित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1970 कहलाएगा।

1920 के यू०पी० अधिनियम सं० 5 की धारा 13 का संशोधन

2—लखनऊ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 की धारा 13 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाए, अर्थात् :—

"(1) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा और कार्यकारिणी परिषद् द्वारा, निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन समिति की सिफारिश पर, नियुक्त किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) उप कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;

(ii) किसी अन्य विश्वविद्यालय का सेवा कर रहा उपकुलपति, जो कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किया जाए; और

(iii) कुलपति द्वारा नाम निर्देशित एक अन्य व्यक्ति"।

1921 के यू०पी० अधिनियम सं० 3 की धारा 14 का संशोधन

3—इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 1921 की धारा 14 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाए, अर्थात् :—

"(1) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा और कार्यकारिणी परिषद् द्वारा, निम्नलिखित से मिल कर बनने वाली चयन समिति की सिफारिश पर, नियुक्त किया जाएगा, अर्थात्:—

(i) उपकुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;

(ii) किसी अन्य विश्वविद्यालय का सेवा कर रहा उपकुलपति, जो कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किया जाए; और

(iii) कुलपति द्वारा नाम निर्देशित एक अन्य व्यक्ति"।

1926 के यू०पी० अधिनियम सं० 8 की धारा 11 का संशोधन

4—आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, 1926 की धारा 11 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जाएं, अर्थात्:—

"(2) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा और कार्यकारिणी परिषद् द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन समिति की सिफारिश पर, नियुक्त किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) उपकुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;

(ii) किसी अन्य विश्वविद्यालय का सेवा कर रहा उपकुलपति, जो कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किया जाए; और

(iii) कुलपति द्वारा नाम निर्देशित एक अन्य व्यक्ति।

[उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 23 जुलाई, 1969 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये]।

(2-क) रजिस्ट्रार की उपलब्धियां अध्यादेशों द्वारा नियत की जाएंगी।"

1956 के उ० प्र० अधिनियम सं० 20 की धारा 5 का संशोधन

5—गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 (जिसे आगे गोरखपुर अधिनियम कहा गया है) की धारा 5 में से उपधारा (2) का प्रतिबन्धात्मक खण्ड और उपधारा (3) निकाल दी जायं।

धारा 8 का संशोधन

6—गोरखपुर अधिनियम की धारा 8 के खण्ड (2) में, शब्द, अंक और कोष्ठक "उपधारा (2) और (3)" के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक "उपधारा (2)" रख दिए जाएं।

धारा 16 का संशोधन

7—गोरखपुर अधिनियम की धारा 16 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाए, अर्थात्:—

"(1) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा और कार्यकारिणी परिषद् द्वारा, निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन समिति की सिफारिश पर, नियुक्त किया जाएगा, अर्थात्:—

(i) उपकुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;

(ii) किसी अन्य विश्वविद्यालय का सेवा कर रहा उपकुलपति, जो कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किया जाए; और

(iii) कुलपति द्वारा नाम निर्देशित एक अन्य व्यक्ति।"

1956 के उ० प्र० अधिनियम सं० 28 की धारा 15 का संशोधन

8—वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 की धारा 15 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाए, अर्थात्:—

"(1) 'प्रस्तोत', विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा और कार्यकारिणी परिषद् द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली निर्धारण समिति की संस्तुति पर, नियुक्त किया जाएगा, अर्थात्—

(i) उपकुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;

(ii) किसी अन्य विश्वविद्यालय का सेवा कर रहा उपकुलपति, जो कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किया जाए; और

(iii) कुलपति द्वारा नाम निर्देशित एक अन्य व्यक्ति।"

1965 के उ० प्र० अधिनियम सं० 13 की धारा 4 और धारा 12 का संशोधन

9—कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1965 में—

(1) धारा 4 में, उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जाएं, अर्थात्:—

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1926

"(6) उपधाराओं (1) से लेकर (3) तक या उपधारा (3) के अधीन जारी की गयी किसी विज्ञप्ति में, या आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, 1926 में किसी बात के होते हुए भी, सीतापुर स्थित नेहरू इन्स्टीट्यूट आफ ओफ्थालमालोजी ऐण्ड रिसर्च, आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, 1926 के अधीन, आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध और सदैव से ही सम्बद्ध बना रहा समझा जाएगा, और तदनुसार, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1968 के प्रारम्भ से पूर्व उक्त इन्स्टीट्यूट के सम्बन्ध में या उक्त इन्स्टीट्यूट में तालिकांकित व्यक्तियों के सम्बन्ध में आगरा विश्वविद्यालय द्वारा किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही या दिया गया कोई आदेश, जिसके अन्तर्गत संचालित की गयी कोई परीक्षा, लिया गया कोई शुल्क, या प्रदत्त किया गया कोई डिप्लोमा आते हैं, इस प्रकार विधिमान्य रूप से किया गया, की गयी, दिया गया, संचालित की गयी, लिया गया या प्रदत्त किया गया समझे जाएंगे, मानों इस उपधारा के उपबन्ध सभी तात्विक समयों पर प्रचलित रहे हों।

(7) उक्त इन्स्टीट्यूट, ऐसे दिनांक से जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निश्चित करे, आगरा विश्वविद्यालय से उपधारा (6) के अधीन सम्बद्ध नहीं रहेगा, और वह इस अधिनियम के अधीन कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो जायगा।"; और

(2) धारा 12 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाए, अर्थात् :—

"(1) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और कार्यकारिणी परिषद् द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) उपकुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;

(ख) किसी अन्य विश्वविद्यालय का सेवा कर रहा उपकुलपति, जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए; और

(ग) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अन्य व्यक्ति ।"

10—कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1968 और उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1969 एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं ।

राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 20 1968 और संख्या 1, 1969 का निरसन

पी०एस०यू०पी०—ए० पी० 116 जन० (लग)—1970—1,830 (मे०) ।